


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2014/ज्येष्ठ 27, 1936

No. 184]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2014/JYAISTHA 27, 1936

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गोवा, 15 मई, 2014

सं. जेईआरसी-1/2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इनके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए) एतद्वारा गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों (कार्य संचालन) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग तृतीय संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 9 के संशोधन को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:—

(i) आयोग समय-समय पर बैठकें आयोजित कर सकता है, जैसा वह अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त समझता हो।

(ii) आयोग के कार्य संचालन के लिए उपर्युक्त उप-विनियम (i) में उल्लिखित अनुसार बैठकों के आयोजन के लिए कोरम दो होगा:

बशर्ते कि जब अध्यक्ष या सदस्य को सुनवाई, बैठक आदि, में भाग लेने से रोका गया है, जिसके लिए उसे पर्याप्त कारण हेतु उचित नोटिस दिया गया हो, तो बैठक में भाग लेने वाला सदस्य या अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, सप्रमाण कोरम का गठन करेगा:

बशर्ते आगे यह कि किसी पिछले निर्णय की समीक्षा करने के लिए आयोग की बैठक के लिए कोरम यह होगा कि उसमें सभी सदस्य उपस्थित होंगे।

बशर्ते आगे यह कि यदि अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो तो कोरम सभी प्रयोजनों के लिए एक होगा।

अनीश गर्ग, सचिव (गोवा और संघ शासित क्षेत्र के लिए जेईआरसी)

[विज्ञापन III/4/असा./218-I/14]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Goa, the 15th May, 2014

No. JERC- 1/2009.—In exercise of powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (For The State of Goa and Union Territories) hereby makes the following amendments in Joint Electricity Regulatory Commission for The State of Goa & UTs (Conduct of Business) Regulations, 2009.

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & UTs (Conduct of Business) Third Amendment Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 9 of the principal Regulation is to be replaced as under:—

(i) The Commission may from time to time hold meetings, as it may consider appropriate in the discharge of its functions under the Act.

(ii) The quorum for conduct of meetings as mentioned in sub-regulation (i) above, for transaction of business of the Commission shall be two:

Provided that when the Chairperson or the Member has been prevented from attending the hearing, meeting etc. of which he has been given due notice, for sufficient reason, the Member or the Chairperson, as the case may be, attending the meeting shall validly constitute the quorum:

Provided further that for a meeting of the Commission to review any previous decision, the quorum shall be that all Members shall be present.

Provided further that if there is a vacancy of the Chairperson or Member, the quorum shall be One for all purposes.

ANISH GARG, Secy. (JERC for Goa & UTs)

[ADVT. -III/4/Exty./218-I/14]